न्यायालय अध्यक्ष / सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प भोपाल.

नि/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3345 प्र0क0– निगरानी / 2016–17

रमेश कुमार शर्मा आ0 श्री कमला प्रसाद
नि0– अहमदपुर रोड विजय नगर
तहसील व जिला विदिशा म0प्र0। .... आवेदक

(136)

विरूद्ध

प्रकाश नारायण आ0 श्री कमला प्रसाद
निवासी– ग्राम देवराजपुर तहसील
व जिला विदिशा म0प्र0। .... अनावेदक

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से विद्वान राजस्व निरीक्षक तहसील व जिला विदिशा मध्यप्रदेश द्वारा उनके प्रकरण कमॉक– 67 / अ–12 / 16–17 में पारित आदेश दिनॉक–16–05–2017 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है,कि उपरोक्त अनावेदक द्वारा ग्राम देवराजपुर तहसील विदिशा स्थित भूमि सर्वे कमॉक 123 / 3 / 3 रकबा 1.730 हैक्टैयर भूमि का सीमॉकन कराने हेतु आवेदन–पत्र दिनॉक–09–06–2016 को अधिनस्थ तहसीलदार विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया।

यह कि विद्वान तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन–पत्र सीमांकन करने हेतु राजस्व निरीक्षक को दिनॉक–06–11–2016 को अंतरित / प्रेषित किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनॉक–30–04–2017 को पडोसी कृषकों को सूचना–पत्र जारी करते हुए सीमांकन दिनॉक–04–05–2017 को करने की तिथि नियत की। दिनॉक–04–05–2017 को सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये दिनॉक–16–05–2017 को प्रकरण नस्तिबद्ध करने के आदेश दिये।

यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित इसी आदेश दिनॉक–16–05–2017 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला – विदिशा

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / विदिशा / भू0रा0 / 2017 / 3346

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता उपस्थित। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तह0 व जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 67 / अ–12 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 16. 05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा निगरानी मेमो के साथ सूचना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है, जिसपर चौकीदार द्वारा यह टीप अंकित की गई है कि मेड़िया कृषक जिसमें आवेदक भी शामिल है के द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने का उल्लेख है। पंचनामा में भी मेड़िया कृषकों द्वारा सूचना पत्र एवं पंचनामा पर हस्ताक्षर किये जाने का उल्लेख किया गया है। दर्शित परिस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया है। जिसके आधार पर यह माना जा सके कि सीमांकन की कार्यवाही की कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	